1/4/21 वादी की तरफ से वाद में श्री — चतुराराम भारद्वाज वकील ने वकालत — नामा पेश करने पर उक्त प्रकरण — अग्रेतर पेशी दिनांक में लिया जाता है। वकील प्रार्थी ने 120 पेश कर — निवेदन किया की मैं उक्त प्रकरण — आगे नहीं चलाकर पत्रावली विशेष — पीठ करवाना चाहता हूँ अतः — प्रार्थी की उक्त 120 स्वीकार की जाकर — तथा प्रार्थी का उक्त प्रकरण पत्रावली — विशेष पीठ किया जाता है पत्रावली — पेशल शुमार कर वाद मुक्त — किया जावे।

मांगीलाल
Advocate

महायक कलक्टर
SDO, खींवसर

कोर्ट फी

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर महोदय

खीवंसर

वादी

मांगीलाल पुत्र रतनलाल जाति देवासी

निवासी खीवंसर तहसील खीवंसर जिला नागौर

बहक

अप्रार्थीगण

1. गजरा पत्नि भैराराम
2. मुकाराम पुत्र रतनलाल
   जातियान देवासी निवासीगण खीवंसर
   तहसील खीवंसर जिला नागौर
3. तहसीलदार खीवंसर
4. उपपंजीयक खीवंसर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी. एक्ट.

श्रीमानजी,

प्रार्थी की ओर से निम्न प्रार्थना प्रस्तुत है :–

1. यह है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी के खेत ख.न. 446 रकबा 34.18 बीघा, ख.न. 446/1 रकबा 20 बीघा कुल रकबा 54.18 बीघा मौजा खीवसर में आये हुए हैं। नकल खतौनी साथ पेश है।
2. यह है कि पक्षकारान के सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :–